<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू</u>

पीठासीन अधिकारी :- जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 57 / 2019

बालूराम पुत्र रूघाराम मेघवाल, निवासी महनसर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
-अपीलार्थी

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
- रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ
उनवानी सरकार बनाम बालूराम अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 148 / 2018 निर्णय दिनांक 17.01.2019

उपस्थिति:-

1 श्री जाफर अली, एडवोकेट ----- ------ -------अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट----------------रेस्पोडेन्ट की ओर से।

-निर्णय- दिनांक 01.11.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.01.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बालूराम मु0नं0 148 / 2018 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि- अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रर्याप्त अवसर दिये बिना ही मात्र पटवारी हल्का के रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 17.01.2019 को अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस भी नही दिया गया। अपीलान्ट करीब 50 वर्ष से उक्त विवादित भूमि पर काबिज है। तथा उक्त भूमि पर करीब 100 अन्य लोगों के भी मकान व जमीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना नोटिस जारी किए व बिना सुने ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.08 12:23:20 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

आदेश पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.01.2019 को खारिज किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रर्याप्त अवसर दिये बिना ही मात्र पटवारी हल्का के रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 17.01.2019 को अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस भी नही दिया गया। अपीलान्ट करीब 50 वर्ष से उक्त विवादित भूमि पर काबिज है। तथा उक्त भूमि पर करीब 100 अन्य लोगों के भी मकान व जमीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना नोटिस जारी किए व बिना सुने ही आदेश पारित किया है। योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ पत्रावली व कानून होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 17.01.2019 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 1062 कुल रकबा 6.57 हैक्टर किस्म गै.मु. चारागाह के रकबा 0.0621 हैक्टर पर पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान [illegible] है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर उनका कब्जा वैद्य साबित होता हो। अतिक्रमित भूमि गैरमु. चारागाह होने से नियमन योग्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.08 12:23:20 IST
Reason: SelfAttested

नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2019 उनवानी सरकार बनाम बालूराम मु0नं0 148/2018 यथावत रखा जाता है । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1.11.2021

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.08 12:23:20 IST
Reason: SelfAttested